प्रेस नोट संख्या 62

दिनांक 28.05.2025

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी

थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा चोरी का खुलासा, चोरी के 12 अदद सरसों के तेल की बोतल व चोरी के सामान की बिक्री के कुल 2850/- रुपये के साथ 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.05.2025 को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना मुसाफिरखाना पुलिस टीम द्वारा तलाश वांछित, देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन के दौरान मोटरसाइकिल सवार 02 अभियुक्तों 1. बृजेश सिंह पुत्र कन्हैया बक्श सिंह निवासी बाहापुर थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 42 वर्ष व 2. जीतेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 छेदीसिंह निवासी कौहार थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जामातलाशी से अभियुक्त जीतेन्द्र के कब्जे से कुल 1500/- रुपये व अभियुक्त बृजेश सिंह के कब्जे से 1350/- रुपये, 01 अदद तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा मोटरसाइकिल पर रखी सफेद बोरी से कुल 12 अदद सरसों के तेल की बोतल (1-1 लीटर) बरामद हुई। मोटरसाइकिल सं0 यू0पी0 36 बी 6101 के कागज मांगने पर दिखा न सके।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हमलोगों ने दिनांक 23/24.05.2025 की रात्रि में कस्बा मुसाफिरखाना में एक परचून की दुकान से रिफाइण्ड तेल के कुल 30-35 पैकेट (1-1 लीटर), 12 बोतल धारा सरसों के तेल की बोतल व एक पन्नी में रखे हुये कुछ काजू के पैकेट को चोरी किया था। जिसे हम अपनी इसी मोटरसाइकिल से लेकर जा रहे थे। वजन अधिक होने के कारण हमलोगों ने दादरा रोड रेलवे क्रासिंग के किनारे तेल की बोतलों को छिपा दिया था व अन्य चोरी किये गये सामान को बृजेश सिंह के गांव के बाहर झाड़ियों में छिपा दिया था। दूसरे दिन हमदोनों ने रिफाइण्ड तेल व काजू के पैकेट को सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के बाहर ठेला लगाने वालों को कुल 3,200/- रुपये में बेंचकर रुपयों को आपस में बराबर-बराबर बांट लिया था। हमलोगों से बरामद रुपये उसी चोरी के सामान की बिक्री के शेष रुपये हैं। आज हमलोग रेलवे क्रासिंग के किनारे छिपायी गयी तेल की बोतलों को अपने साथ लेकर जा रहे थे। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना मुसाफिरखाना पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1. बृजेश सिंह पुत्र कन्हैया बक्श सिंह निवासी बाहापुर थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 42 वर्ष।
2. जीतेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 छेदीसिंह निवासी कौहार थाना गौरीगंज जनपद अमेठी उम्र करीब 40 वर्ष।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

1. मु0अ0सं0 138/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 137/25 धारा 305, 317(2), 331(4) बी0एन0एस0 थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी। **(में प्रकाश में आए।)**
3. मोटरसाइकिल सं0 यू0पी0 36 बी 6101। **(धारा 207 एमवी एक्ट)**

बरामदगी-

1. चोरी की 12 अदद धारा सरसों के तेल की बोतल (1-1 लीटर)।
2. चोरी बिक्री के कुल 2850/- रुपये।
3. 01 अदद तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री विवेक कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 हेमनारायण सिंह थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
3. हे0का0 मु0जावेद थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
4. हे0का0 नीरज यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
5. हे0का0 अमित यादव थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।
6. का0 विवेक सिंह चौहान थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त बृजेश सिंह-

1. मु0अ0सं0 119/22 धारा 307, 34 भादवि थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।
2. मु0अ0सं0 123/22 धारा 325 आर्म्स एक्ट थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।

अभियुक्त जीतेन्द्र सिंह –

1. मु0अ0सं0 1169/21 धारा 323, 427, 504, 506 थाना गौरीगंज जनपद अमेठी।